



Sat- 12 Sep - 2026

Year - 01

Issue - 168

Page - 01

Rs. - 5

www.azadvaani.com

मंडी-कुल्लू सफर होगा आसान,
ड्योढ़ और हणोगी टनल शुरू,
ट्रैफिक जाम और भूस्खलन से
मिलेगी राहत



मंडी/कुल्लू। किरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना के तहत ड्योढ़ और हणोगी टनल को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इन दोनों सुरंगों के शुरू होने से मंडी से कुल्लू और मनाली की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 2.8 किलोमीटर लंबी ड्योढ़ टनल और 650 मीटर लंबी हणोगी टनल इस महत्वपूर्ण मार्ग की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगी।

इन सुरंगों के जरिए ऐसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों को बायपास किया गया है, जहां पहले वाहनों को संकरे और जोखिम वाले मार्गों से गुजरना पड़ता था। बरसात के मौसम में इन क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ-साथ कई बार लंबा जाम भी लग जाता था।

राष्ट्रीय लोक अदालत में पंजाब के 5.99 लाख मामलों का निपटारा, 1,116 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड



चंडीगढ़, 12 सितंबर: पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 6,54,612 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 5,99,283 मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 1,116,10,96,635 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए। यह पहल आम लोगों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा के संरक्षण तथा कार्यकारी चेयरमैन न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विवादों का लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय आपसी समझौते के माध्यम से समाधान करवाना रहा।

पंजाब को केंद्रीय बिजली पूल से 1,051 मेगावाट कम बिजली, सौंद बोले- किसानों के लिए निर्बाध आपूर्ति जरूरी



चंडीगढ़, 12 सितंबर 2026: पंजाब में बिजली की मौजूदा स्थिति को लेकर बिजली एवं लोक निर्माण मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि राज्य को इस समय केंद्रीय विद्युत पूल से उसके निर्धारित हिस्से की तुलना में 1,051 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब को केंद्रीय पूल में उसका बनता पूरा हिस्सा तत्काल जारी करने की मांग की है।

सौंद ने कहा कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और किसानों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता न केवल खेती बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री को पत्र लिखकर पंजाब को उसके हिस्से की पूरी बिजली उपलब्ध करवाने की अपील की है।

बिजली मंत्री ने थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की कमी से जुड़ी चर्चाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार के स्वामित्व वाले बिजली संयंत्रों में कोयले की

कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के प्रयासों से पछवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति शुरू होने के बाद सरकारी थर्मल प्लांटों के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है।

सौंद के अनुसार, वर्तमान समस्या मुख्य रूप से निजी थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति से जुड़ी है। तलवंडी साबो और राजपुरा स्थित निजी थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की उपलब्धता प्रभावित हुई है और इसका संबंध कोल इंडिया से है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में लहरा मोहब्बत और रोपड़ में चार-चार तथा गोईंदवाल साहिब में दो थर्मल यूनिट हैं। इसके अलावा तलवंडी साबो और राजपुरा में निजी क्षेत्र के थर्मल प्लांट संचालित हो रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने तकनीकी खराबी के कारण बंद एक यूनिट को दोबारा चालू करवा दिया है। बाकी प्रभावित यूनिटों को भी जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार

और पीएसपीसीएल बिजली उत्पादन तथा आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं।

सौंद ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषकर अधिक मांग वाले समय में लोगों तथा कृषि क्षेत्र को पर्याप्त एवं भरोसेमंद बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर पीएसपीसीएल के सीएमडी डॉ. बसंत गर्ग और डायरेक्टर (उत्पादन) इंजीनियर पुनरदीप सिंह बराड़ भी मौजूद रहे।

सौंद ने कहा कि बिजली की मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद पंजाब सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और औद्योगिक क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति पर कम से कम असर पड़े। विभागीय अधिकारी उत्पादन और मांग की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जरूरत के अनुसार बिजली की उपलब्धता को संतुलित किया जा सके।

राष्ट्रीय लोक अदालत में पंजाब में 5.99 लाख मामलों का निपटारा, 1,116 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड

चंडीगढ़, 12 सितंबर: पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 6,54,612 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 5,99,283 मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 1,116,10,96,635 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा के संरक्षण तथा कार्यकारी चेयरमैन न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के नेतृत्व में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को शीघ्र, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध करवाना रहा।

प्राधिकरण की सदस्य सचिव जगदीप कौर विर्क ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 39-ए की भावना के अनुरूप आम लोगों की न्याय तक पहुंच आसान बनाने का प्रयास किया गया। लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य सहयोगी पक्षों ने भाग लिया।

राज्य के सभी जिलों और उप-मंडलों में कुल 404 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया। इन पीठों के समक्ष दीवानी, वैवाहिक, संपत्ति, मोटर दुर्घटना दावे, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई हुई। अनेक मामलों का समाधान पक्षों की आपसी सहमति से किया गया, जिससे वादकारियों को राहत मिलने के साथ अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम हुआ।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पारिवारिक विवादों के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मोहाली जिले में "करमजीत कौर बनाम रविंदर सिंह" मामले में अदालत के प्रयासों से पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का समाधान कराया गया। करमजीत कौर ने अपने पति के विरुद्ध धारा 125 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और पति-पत्नी ने दोबारा साथ रहने पर सहमति जताई।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल ने न्यायिक अधिकारियों, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों और स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय लोक अदालत सफल रही।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण ने हाईकोर्ट, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों, न्यायपालिका, बार के सदस्यों, पुलिस अधिकारियों और सिविल प्रशासन का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति और आपसी समझ के आधार पर किया गया। इससे वादकारियों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया, अतिरिक्त खर्च और मानसिक तनाव से राहत मिली। कई मामलों में पक्षकारों ने बातचीत के माध्यम से विवाद समाप्त कर भविष्य में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने पर सहमति जताई।



राष्ट्रीय लोक अदालत में पंजाब के 5.99 लाख मामलों का निपटारा, 1,116 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड



चंडीगढ़, 12 सितंबर: पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 6,54,612 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 5,99,283 मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 1,116,10,96,635 रुपये की राशि के अवार्ड पारित किए गए। यह पहल आम लोगों को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा के संरक्षण तथा कार्यकारी चेयरमैन न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विवादों का लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय आपसी समझौते के माध्यम से समाधान करवाना रहा।

प्राधिकरण की सदस्य सचिव जगदीप कौर विर्क ने बताया कि लोक अदालत के दौरान राज्य के सभी जिलों और उप-मंडलों में कुल 404 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया। इन पीठों के समक्ष दीवानी, वैवाहिक, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, बैंकिंग, बीमा तथा अन्य विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की गई। पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर दिया गया, जिससे उन्हें समय और कानूनी खर्च दोनों में राहत मिली।

लोक अदालत की प्रक्रिया में वादकारियों के साथ न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य सहयोगी पक्षों ने सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान कई वर्षों से लंबित मामलों का भी समाधान हुआ। मामलों के निपटारे से जहां संबंधित पक्षों को तत्काल राहत मिली, वहीं अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी मदद मिली। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवादों के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मोहाली जिले में "करमजीत कौर बनाम रविंदर सिंह" मामले में अदालत के प्रयासों से पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद समाप्त कराया गया।

Innovation & Excellence

Advertisement

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

☎ 727-515-0015